प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.अचलाराम पुत्र सदाराम जी जाति माली 2.दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम माली 3.वचनाराम पुत्र अचलाराम माली 4.मूलाराम पुत्र वेलाराम माली निवासीगण कैलाशनगर तहसील शिवगंज।		1.देवा पुत्र लच्छाजी राजपूत 2.शांति पत्नी वजाराम माली 3.कसना पुत्र लखमाजी माली 4. रावता पुत्र लखमाजी माली 5. लाला पुत्र लखमाजी माली 6.वजाराम पुत्र रूपाजी माली 7.पुरकी देवी पत्नी मूलाराम माली 8.डायाराम पुत्र सदाजी माली 9.जसाराम पुत्र देवाजी माली 10.कमलाकुंवर पत्नी वचनदान चारण निवासीयान–कैलाशनगर 11.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता सुनिल कुमार गहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 21/2020

निर्णयः– दिनाक 20.05.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.10.2021 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1072 दिनाक 04.05.2022 से वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा कैलाशनगर के खसरा नम्बर 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3040 रकबा क्रमशः 45–1900, 0–1300, 0–1800, 4–1800, 11–18, 1–1800, 42–1200 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 108–14 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी व उनके अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमे कोई आपत्ति नही की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 20.05.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2022 के फॉलोअप शिविर ग्राम पंचायत कैलाशनगर निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:04:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021
फॉलोअप शिविर-कैलाशनगर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.अचलाराम पुत्र सदाराम जी जाति माली 2.दिनेशकुमार पुत्र अचलाराम माली 3.वचनाराम पुत्र अचलाराम माली 4.मूलाराम पुत्र वेलाराम माली निवासीगण कैलाशनगर तहसील शिवगंज।		1.देवा पुत्र लच्छाजी राजपूत 2.शांति पत्नी वजाराम माली 3.कसना पुत्र लखमाजी माली 4. रावता पुत्र लखमाजी माली 5. लाला पुत्र लखमाजी माली 6.वजाराम पुत्र रूपाजी माली 7.पुरकी देवी पत्नी मूलाराम माली 8.डायाराम पुत्र सदाजी माली 9.जसाराम पुत्र देवाजी माली 10.कमलाकुंवर पत्नी वचनदान चारण निवासीयान–कैलाशनगर 11.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता सुनिल कुमार गहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 21/2020
दिनाक 20.05.2022

पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पंत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1072 दिनाक 04.05.2022 से वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा कैलाशनगर के खसरा नम्बर 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3040 रकबा कमशः 45–1900, 0–1300, 0–1800, 4–1800, 11–18, 1–1800, 42–1200 बीघा किता 7 कुल रकबा 108–14 बीघा अर्थात 17.5957 हेक्टयर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका उपस्थित पक्षकारान को अवलोकन करवाने पर सहमत होने से वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को सरहद मौजा कैलाशनगर पटवार हल्का कैलाशनगर तहसील शिवगंज खसरा नम्बर 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3040 किता 7 कुल रकबा 108–14 बीघा अर्थात 17.5957 हेक्टयर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनाक 20.05.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2022 के फॉलोअप शिविर ग्राम पंचायत कैलाशनगर में जारी किया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील [illegible] [illegible] बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्क [illegible]	–:शून्य:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:04:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)